

फर्द अहकाम

बद्री दास बनाम किशनदास वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)
 प्रकरण संख्या19.../2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी
 जीसीएमएस संख्या: 2025 /

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.05.2025	<p>प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का जरिये वकील श्री अशोक सैनी व उपवन सैनी के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार पावटा व थानाधिकारी पुलिस थाना प्रागपुरा को स्थगन आदेश दि. 09.05.2025 की पालनार्थ तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 09.06.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"><i>उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</i></p> <p>वकुलाय फरीकन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दोरे/अवकाश/प्रशा.कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक...02.7.25 को पेश हो।</p> <p>वकुलाय फरीकन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दोरे/अवकाश/प्रशा.कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक...18.7.25 को पेश हो।</p> <p>14/07/25 फावटी कोर्ट जारी व जारी किया गया। प्रत्यक्ष में पिछले कार्रवाई का प्रमाण पत्र को टिके पर तलब किया। जारी व जारी किया मांगे कि यह धारा 151 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र को गते देकर निवेदन किया। अद्यपर मक किया। पत्रावली का तालिका किफा गया। अर्थका पत्र 151 धारा जारी कर पत्रावली किफा कर कार्रवाई किया जाता है पत्रावली के अन्तर्गत धारा 151 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र को हाथिल स्टूट है</p> <p style="text-align: center;"><i>उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</i></p>	<p>विशेष विवरण</p> <p style="text-align: right;"><i>प.सि. ब.स.दास</i></p> <p style="text-align: right;"><i>only hide by</i></p>

9/6/25

02/7/25

प.सि. ब.स.दास

*only hide
by*